

संख्या/No : 13/1/2021/उ.नि.(टं./आ.)/ 587-606

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
हिंदी शिक्षण योजना हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण
HINDI TEACHING SCHEME, HINDI TYPING/STENOGRAPHY TRAINING

पूर्वी खंड/East Block-7, लेवल/Level-6,
आर.के. पुरम/R.K. Puram,
नई दिल्ली/New Delhi-110066
दिनांक/Dated 01.6.2021

सेवा में,

सभी संपर्क अधिकारी (हिंदी)

निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/प्रबंधक(राजभाषा), प्रशासनिक अधिकारी,

सभी मंत्रालय/विभाग/संबंध एवं अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक उपक्रम/निगम, निकाय तथा राष्ट्रीयकृत बैंक इत्यादि नई दिल्ली ।

विषय : हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण ऑनलाइन दीर्घकालिक प्रशिक्षण - सत्र अगस्त, 2021 से जनवरी, 2022 तक।

महोदय/महोदया,

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए हिंदी शिक्षण योजना द्वारा हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण ऑनलाइन संचालित किए जा रहे हैं। इस संबंध में सूचित करना है कि हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्रों पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का ऑनलाइन दीर्घकालिक प्रशिक्षण का आगामी सत्र अगस्त, 2021 से प्रारंभ होगा।

प्रशिक्षार्थियों का कक्षाओं में ऑनलाइन प्रवेश दिनांक 17-18 अगस्त, 2021 (प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे) को होगा। "प्रवेश पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर होगा। कक्षाएं 19 अगस्त, 2021 से आरंभ होगी। प्रशिक्षण केंद्रों का विवरण अनुलग्नक "क" पर दिया गया है। ऑनलाइन हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:-

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण की अवधि एवं परीक्षा	पात्रता	हिंदी में योग्यता
हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण (ऑनलाइन)	<u>अवधि</u> अगस्त, 2021 से जनवरी, 2022 (6 माह, 1 घंटा प्रतिदिन) <u>परीक्षा</u> जनवरी, 2022 के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में	केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। <u>अनिवार्य</u> सभी अंग्रेजी टंककों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/ अवर श्रेणी लिपिकों, डाक विभाग में डाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालय	हिंदी के साथ मिडिल (आठवीं) या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण आदि।

		<p>सहायकों, दूरसंचार विभाग में दूरसंचार सहायकों, आयकर तथा कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायकों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों आदि के लिए, इसके अलावा इसमें ग्रुप 'ग' के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं।</p> <p>स्वैच्छिक</p> <p>1. वर्तमान में सहायकों/सहायक अनुभाग अधिकारियों, उच्च (प्रवर) श्रेणी लिपिकों/वरिष्ठ सचिवालय सहायकों तथा हिंदी अनुवादकों/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों/वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, अतः इन्हें हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और इन्हें कक्षाओं में रिक्त स्थान होने पर प्रवेश दिया जा सकता है।</p> <p>2. सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, किंतु वे अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नगद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार आदि</p>	
--	--	---	--

- ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्यालय से ही प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की प्रतिदिन ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। सभी कार्यालय प्रमुखों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने कार्मिकों को कार्यालय में उपलब्ध संसाधनों, यथा- डेस्कटॉप/ लैपटॉप, वेबकैम, हैंडफोन, इंटरनेट आदि का उपयोग करने एवं हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति प्रदान करें।

वित्तीय प्रोत्साहन

- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार होंगे।
- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी अधोलिखित तालिका के अनुसार नगद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे। वैयक्तिक वेतन/नकद पुरस्कार आदि का भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है:-

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

1	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 2400/-
2	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 1600/-
3	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-

परीक्षा शुल्क :

यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निःशुल्क है, किंतु केंद्र सरकार के निगमों/निकायों/उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए प्रति कर्मचारी ₹100/- की दर से परीक्षा शुल्क देय है। शुल्क का भुगतान ड्राफ्ट द्वारा या अनुलग्नक "ख" पर उल्लिखित विधि के अनुसार "उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली/ Deputy Director (Exam.), Hindi Teaching Scheme, New Delhi" को ऑनलाइन किया जा सकता है।


नामांकन विधि

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विवरण निर्धारित नामांकन प्रपत्र में दिनांक 30 जुलाई, 2021 तक सीधे संबंधित प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
- नामांकन निर्धारित प्रपत्र में ही भेजा जाए। नामित करने वाले अधिकारी का नाम, कार्यालय का पूरा पता, टेलीफोन नंबर तथा ई-मेल आई डी का पत्र में स्पष्ट उल्लेख अवश्य किया जाए ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो।
- प्रशिक्षण के लिए नामित कर्मचारियों को प्रवेश लेने हेतु अलग से कोई पुष्टि पत्र नहीं भेजा जाएगा।
- संबंधित प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) द्वारा प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों को दाखिला देने की लिखित सूचना दी जाएगी, जिसे संबंधित कर्मचारी अपने कार्यालय में सूचनार्थ प्रस्तुत करेंगे ताकि संबंधित कार्यालय द्वारा प्रवेश न लेने वाले कर्मचारी के संबंध में यथोचित कार्रवाई समय पर की जा सके।

विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को सभी संबद्ध कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें।
- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि कार्मिकों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें और अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित हों ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

भवदीय


01/06/2021

(राकेश कुमार वर्मा)

उप निदेशक (ट./आ.)

Chti 1041

पृष्ठांकन संख्या 13/1/2021-3.नि.(टं/आ)/ 587-606 दिनांक : 01.06.2021.

प्रतिलिपि सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली.
2. संयुक्त सचिव (राजभाषा) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली.
3. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली.
4. संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहां रोड, नई दिल्ली.
5. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली.
6. सतर्कता आयोग, नई दिल्ली.
7. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली.
8. राज्यसभा/लोक सभा सचिवालय।
9. केंद्रीय हिंदी निदेशालय, पश्चिमी खंड-7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली.
10. केंद्रीय हिंदी संस्थान, नई दिल्ली.
11. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली.
12. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, अंत्योदय भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली.
13. निदेशक (नीति एवं समन्वय), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली.
14. निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली.
15. संपादक, राजभाषा भारती एवं राजभाषा पुष्पमाला, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली.
16. सचिव, बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली.
17. निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली.
18. उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली.
19. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया परीक्षा की व्यवस्था करें।
20. उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली.
21. सभी उप निदेशक (मध्योत्तर/पूर्वोत्तर/दक्षिण/पश्चिम/पूर्व) हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान।
22. सहायक निदेशक (टं.आ.), हिंदी शिक्षण योजना, प्रशिक्षण केंद्र
23. सहायक निदेशक (टं.आशु), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक एवं वेबसाइट अपडेट नोडल अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, अंत्योदय भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली.



(राकेश कुमार वर्मा)

उप निदेशक (टं.आ.)

Chti1041

नई दिल्ली प्रशिक्षण केंद्रों की सूची

क्र.सं.	प्रशिक्षण केंद्रों का नाम व पता	सहायक निदेशक का नाम व दूरभाष	कार्यालय/भवन जहां के कर्मचारियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी	प्रशिक्षण का माध्यम
1.	रामकृष्ण पुरम ईस्ट ब्लॉक-2, लेवल-1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066	श्री चरणजीत वर्मा दूरभाष 26186035 Chti1056@nic.in	रामकृष्णपुरम और आसपास स्थित सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर
2.	रामकृष्णपुरम ईस्ट ब्लॉक-7, लेवल-6 नई दिल्ली-110066	श्रीमती विनीता तिवारी दूरभाष 26175246 मो. 8368432321 Chti1071-dol@nic.in	रामकृष्णपुरम और आसपास स्थित सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर
3.	डाक भवन कमरा नं. 109-बी, प्रथम तल, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली	श्री बाबू राम वोहरा दूरभाष 23036516 Chti1052@nic.in	डाक भवन, पटेल भवन, निर्वाचन सदन, संचार भवन, कर्नाट प्लेस, संसद मार्ग तथा आसपास के सभी कार्यालय बैंक आदि	कंप्यूटर पर
4.	योजना भवन कमरा नं. 519-ए, संसद मार्ग, योजना भवन, नई दिल्ली	श्री विभूति शरण सिन्हा दूरभाष 9910213246 Chti1053@nic.in	योजना भवन, आकाशवाणी, रिजर्व बैंक, श्रम शक्ति भवन, परिवहन भवन, संसद मार्ग तथा आसपास के सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर
5.	ई-ब्लॉक, कमरा नं. 175, ई-ब्लॉक हटमेंट्स, टू-टू रोड, (सेना भवन के पीछे) रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली-11	श्री जयवीर दूरभाष 23014875 Chti1044@nic.in	सेना भवन, साउथ ब्लॉक, नार्थ ब्लॉक स्थित समस्त कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, तथा आसपास हटमेंट्स में स्थित कार्यालय	कंप्यूटर पर
6.	रेल भवन कमरा नं. 564 जे रेल भवन, नई दिल्ली	श्रीमती विनीता तिवारी दूरभाष 23215045 मो. 8368432321 Chti1071-dol@nic.in	रेलभवन कृषि भवन, उद्योग भवन, शास्त्री भवन, श्रम शक्ति भवन तथा आसपास के कार्यालय	कंप्यूटर पर
7.	निर्माण भवन कमरा नं. 203, दूसरा तल, एफ विंग, नई दिल्ली	श्री विभूति शरण सिन्हा दूरभाष 9910213246 Chti1053@nic.in	निर्माण भवन, उद्योग भवन, वायु भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन, विदेश मंत्रालय तथा आसपास के सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर
8.	संघ लोक सेवा आयोग अतिथिगृह भवन, भूतल, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069	श्री महेन्द्र कुमार दूर. 23098591/4711 Chti1061@nic.in	संघलोक सेवा आयोग, लोक नायक भवन, अकबर रोड हटमेंट्स, जामनगर हाउस, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, आई.टी.ओ. तथा आसपास के सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर

ऑनलाइन फीस जमा करने के स्टैप्स

स्टेप-1



सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट www.onlinesbi.com ओपन करें, फिर **STATE BANK COLLECT** उप-शीर्षक पर जाएँ।

अथवा

भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट www.onlinesbi.com के मुख्य शीर्षक **STATE BANK OF INDIA** पर क्लिक करें, फिर **STATE BANK COLLECT** नामक उप-शीर्षक पर क्लिक करें एवं सभी शर्तों को स्वीकार करें।

स्टेप-2



STATE OF CORPORATE/INSTITUTION में **ALL INDIA** का चयन करें, उसके बाद **TYPE OF CORPORATE/INSTITUTION** में **GOVERNMENT DEPARTMENT** चुनें एवं **GO** पर क्लिक करें।

स्टेप-3



GOVERNMENT DEPARTMENT का नाम वाले कॉलम के पुल-डाउन मेन्यू से **HINDI TEACHING SCHEME, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE MHA** का चयन करें।

स्टेप-4



SELECT PAYMENT CATEGORY में **HINDI TEACHING SCHEME** को चुनें, अब एक फार्म खुल जाएगा।

स्टेप-5



फार्म को भरने के बाद **SUBMIT** करें, फिर अपने भरे हुए विवरण को **CONFIRM** करके **PAYMENT** करें।

स्टेप-6



PAYMENT करने के बाद **RECEIPT** के प्रिंट की प्रति उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, लेवल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को भेजना अनिवार्य है।

हिंदी शिक्षण योजना
हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण
प्रशिक्षण सत्र जनवरी-जुलाई/अगस्त-जनवरी
परीक्षार्थी की स्थिति : नियमित/प्राइवेट

क्र.सं.	प्रशिक्षार्थी का विवरण (हिंदी में)	Details of Scholars (In English Capital Letters)
1.	प्रशिक्षार्थी का नाम :	Name of candidate :
2.	लिंग (स्त्री/पुरुष) :	Gender (F/M) :
3.	पिता/पति का नाम :	Name of Father's/Husband's :
4.	प्रशिक्षार्थी का पदनाम :	Designation of trainee :
5.	मातृभाषा :	Mother tongue :
6.	हिंदी भाषा में ज्ञान का स्तर स्नातकोत्तर / स्नातक / इंटरमीडिएट / दसवीं/ आठवीं / पांचवीं / प्रबोध / प्रवीण / प्राज्ञ	Knowledge of Hindi : PostGraduate / Graduate / Intermediate/ Tenth/ Eighth / Fifth / Prabodh / Praveen / Pragya
7.	मंत्रालय :	Name of Ministry :
8.	विभाग का नाम :	Name of Department :
9.	कार्यालय का पूरा पता एवं दूरभाष :	Full office address with phone number :
10.	नामित करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, ईमेल :	Name, Designation & Email of the Nominating Officer :
11.	ई-मेल आईडी (कार्यालय अथवा निजी) :	E-mail ID (Official or personnel):
12.	दूरभाष/मोबाइल :	Tel./Mobile :
13.	आधार संख्या :	Aadhar No.
14.	परीक्षा शुल्क विवरण :	Exam Fee Details : Amount Draft No. & Date Name of Branch

प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर

नामित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर (मोहर सहित)